न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 16/493

1. जगदीश आत्मज केसरी लाल आयु 40 वर्ष जाति लोधा निवासी सोहनपुरा नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. ओम प्रकाश आत्मज केसरी लाल आयु 35 वर्ष जाति लोधा निवासी ग्राम सोहनपुरा नयागॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि आवंटन नियम 1970 के नियत 20 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रावंठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 545 की रकबा 1.76 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि सिवायचक खाता सरकार है । प्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार हैं उनके खाते में कोई भी कृषि भूमि नहीं है । वादग्रस्त आराजी में 1.16 हैक्टर भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 15 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है । राजस्व अभियान के दौरान उक्त भूमि में से 0.64 हैक्टर भूमि दिनांक 30.11.2010 को अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दी थी । उक्त आवंटन के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील प्रस्तुत

की गई जो दिनांक 08.06.2011 को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त कर दिया गया और उक्त भूमि का प्रार्थीगण को आवंटन /नियमन का पात्र माना ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी में 1.16 हैक्टर भूमि जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, प्रार्थीगण के पक्ष में नियमन कर आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

4. अप्रार्थी तहसीलदार, लाडपुरा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 09.06.2016 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2016 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कब्जाधारी अपीलान्ट को नियमन करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से अनदेखा करते हुए तथा बिना किसी आधार के खसरा नम्बर 306/337 की भूमि का अपीलान्ट के पिता केसरीलाल के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 निरस्त फरमाया जावे एवं वादग्रस्त आराजी में से 1.16 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण अपीलान्ट को नियमन कर आंवटित किये जाने का आदेश पारित किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विधि के विपरीत आवंटन की प्रक्रिया को प्रशासनिक प्रक्रिया मानते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया । इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 30.11.2010 को राजस्व अभियान के दौरान ग्राम रावठा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 545 की 1.76 हैक्टर भूमि में से 0.64 हैक्टर भूमि बबलू को आवंटित की गई थी जबकि इस आराजी पर 20 वर्षों से भी अधिक समय से अपीलान्ट काबिज है इस कारण अपीलान्ट ने आवंटन आदेश दिनांक 30.11.2010 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील पेश की जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 08.06.2011 को स्वीकार करते हुए उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया तथा अपीलान्ट का कब्जा होने के कारण राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अपीलान्ट को नियमन करने का आदेश प्रदान किया गया । परन्तु इस न्यायालय के निर्णय एवं राजस्व रिकॉर्ड को अनदेखा करते हुए प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है । आवंटन प्रशासनिक कार्यवाही न होकर न्यायिक कार्यवाही होती है फिर भी प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट आवंटन समिति अथवा आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं न कि नियम 20 आवंटन नियम 1970 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा राजस्थान कृषि आवंटन नियम, 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत यह कथन करते हुए पेश किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा होने के कारण आराजी उनके पक्ष में नियमन कर आवंटन किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से उनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है । आराजी पूर्व आवंटन को निरस्त करने के उपरान्त सिवायचक दर्ज की गई है । इस आराजी का आवंटन, आवंटन नियमों की पालना करते हुए आवंटन समिति के द्वारा किया जा सकता है यदि अपीलान्ट स्वयं को आवंटन का पात्र मानते हैं तो इस क्रम में आवंटन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं जिस पर आवंटन समिति विधिक प्रकिया अपनाते हुए उचित कार्यवाही कर सकती है । वादग्रस्त आराजी के आवंटन के लिए यह प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अपीलान्ट खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 09.06.2016 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा